न्यायालय– विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम/ गैंगेस्टर अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थितिः लोकेश कुमार मिश्र(एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–179 सन् 2012

UPSN010009822012

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

अवनीश कुमार यादव पुत्र राजपति यादव निवासी चन्द्रपुरा जगन्नाथपुर, थाना गोपीगंज, जिला संत रविदास नगर भदोही।

अधिवक्तागण उपस्थितिः–

अभियोजन पक्षः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री श्यामसूरत पाण्डेय।।

बचाव पक्षः– विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय, एडवोकेट।

मुकदमा अपराध संख्या– 637 सन् 2006
धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम
थाना– औराई, जनपद–भदोही।

निर्णय

1. अभियुक्त अवनीश कुमार यादव के विरुद्ध थाना औराई द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–637 सन् 2006, धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट, वाराणसी द्वारा दिनांक 22.09.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया एवं दिनांक 17.02.2016 को न्यायालय–विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर भदोही द्वारा अभियुक्त अवनीश कुमार यादव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा –3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश से पत्रावली दिनांक 24.04.2025 को अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि अवनीश कुमार यादव पुत्र राजपति यादव ग्राम चन्द्रपुरा जगन्नाथपुर, थाना गोपीगंज, जनपद संत रविदासनगर भदोही का रहने वाला है तथा एक शातिर किस्म का गैंगेस्टर हो गया है। उक्त अवनीश कुमार यादव अपना एक नाजायज गैंग बना लिया है। सुनील कुमार यादव पुत्र शिवधर यादव तथा दीपक यादव उर्फ बेसन पुत्र हीरालाल यादव साकिनान तेवर बरैछा, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी आदि उस अवनीश कुमार यादव उर्फ दीनानाथ के गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप में पूर्णतः लिप्त है। समय–समय पर अपने अन्य सहयोगी अपराधियों के साथ स्वयं अपने तथा गैंग के अन्य सहयोगी अपराधीगण के आर्थिक, भौतिक एवं अन्य अनुचित लाभ के लिये स्वयं एवं अन्य साथियों के साथ चोरी, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करने में लिप्त है। भा०दं०वि० के अध्याय 16,17,22 में वर्णित जघन्य अपराधों को कारित कर आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न कर लोक व्यवस्था को छिन्न–छिन्न कर देते हैं। आम जनता इनके आतंक एवं भय से प्रथम सूचना अंकित कराने एवं साक्ष्य देने में कतराती है तथा साहस नहीं कर पाती है। इनका आपराधिक विवरण निम्नवत है–

(1). उक्त तीनों अपराधी दिनांक 04.08.2006 को माधो सिंह रेलवे क्रासिंग के पास से लूट की बोलेरो जीप नंबर UP64F6695, होरोहाण्डा पेशन नंबर UP53AC 8400 मय पाँच अदद कट्टा व कारतूस गिरफ्तार कर मु०अ०सं० Nill/06 धारा 41/411 आई०पी०सी०, मु०अ०सं० 439/ 06, 440/06, 441/06 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में निरूद्ध किये गये हैं। उक्त बोलेरो थाना पिपरी सोनभद्र से तथा मो०सा० थाना चोलापुर क्षेत्र से लूटी गयी थी।

(2). दिनांक 19.07.2006 को रात्रि 23:30 बजे अभियुक्त अवनीश कुमार यादव, सुनील कुमार व दीपक यादव आदि द्वारा गोपीगंज क्षेत्र में जी .टी. रोड पर स्थित आई.वी.पी. आटो सर्विसेस पर वैन में तेल भरवाया। पैसा माँगने पर सेल्समैन छोटेलाल शुक्ला पुत्र श्रीनाथ को कट्टे की मुठिया से मारकर रूपया नकद व मोबाइल छीन लिया था। मु०अ०सं० 351/06 धारा 394 आई०पी०सी०थाना गोपीगंज पर पंजीकृत होकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

(3). अभियुक्तगण द्वारा थाना चील्ह क्षेत्र से व्यापारी की मो०सा० चाही व नकदी लूट लिया गया था। मु०अ०सं० 340/06 धारा 392 आई०पी०सी०पंजीकृत होकर प्रकाश में आने पर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

(4). अभियुक्तगण अवनीश कुमार यादव, सुनील कुमार यादव व दीपक यादव आदि द्वारा थाना पिपरी सोनभद्र सेम से बोलेरो जीप नंबर UP64 F 6695 लूटी गयी थी तथा चालक को जंगल में उतार दिया गया था। उक्त के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 351/06 धारा 379 आई०पी०सी० पंजीकृत होकर धारा 392/411 आई०पी०सी० तरमीम होकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

3. इस प्रकार उपरोक्त अपराध विवरण से स्पष्ट है कि गैंगलीडर अवनीश कुमार यादव उर्फ दीनानाथ का एक नाजायज गैंग है। सुनील कुमर यादव व दीपक यादव आदि सक्रिय सदस्य है, जो समाज विरोधी क्रिया कलाप में पूर्णतः लिप्त है। इनका कार्य अन्तर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1906 का अपराध है। अतः इनके विरुद्ध उक्त धारा –3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोदी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत करें।

4. अभियुक्त अवनीश कुमार यादव के विरुद्ध मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2016 को अन्तर्गत धारा –3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इनकार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया हैः–

क्र०सं०	पी०डब्लू०	साक्षी का नाम
1.	पी०डब्लू०–1	आर०आर० द्विवेदी
2.	पी०डब्लू०–2	गोविन्द सिंह
3.	पी०डब्लू०–3	जगदीशचन्द्र शुक्ला
4.	पी०डब्लू०–4	रमेश सिंह
5.	पी०डब्लू०–5	श्रीप्रकाश दूबे
6.	पी०डब्लू०–6	जनार्दन गिरी
7.	पी०डब्लू०–7	शहरोज अनवर खान
8.	पी०डब्लू०–8	नन्दलाल द्विवेदी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैंः–

क्र०सं०	प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
1.	प्रदर्श क–1	गैंगचार्ट
2.	प्रदर्श क–2	तहरीर
3.	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र
4.	प्रदर्श क–4	चिक संख्या 80/06 पर मुकदमा अपराध संख्या 35/06 धारा–403, 323 आई०पी०सी० बनाम अज्ञात की प्रथम सूचना रिपोर्ट
5.	प्रदर्श क–5	चिक एफ०आई०आर० अपराध संख्या 637/06 धारा–3 (1) गैंगेस्टर एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	प्रदर्श क–6	चिक संख्या 70/06 सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या nil/06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट
7.	प्रदर्श क–7(पूर्व में प्रदर्श क 8 अंकित था ,जिस सद्भाविक लिपिकीय त्रुटि को प्रदर्श क 7 आदेश दिनांक–05.02.2026 द्वारा किया गया	अपराध संख्या 609/2006 आरोप पत्र संख्या 76/06 की प्रमाणित छायाप्रति
8.	प्रदर्श क–8(पूर्व में प्रदर्श क 9 अंकित था ,जिस सद्भाविक लिपिकीय त्रुटि को प्रदर्श क 8 आदेश दिनांक 05.02.2026 द्वारा किया गया	अपराध संख्या 609/06 धारा–379 आई०पी०सी० की एफ०आई०आर०

7. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली के अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि पत्रावली में संलग्न प्रपत्र के प्रदर्श के अंकन में सदभाविक लिपिकीय त्रुटि हुई थी। जिसके सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2026 को इस सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया गया एवं उक्त पारित आदेश के आलोक में उपरोक्त न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रपत्र में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करते हुए इस सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया।

8. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से 8 गवाहान को परीक्षित किया गया, जिसमें अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू० 1 आर०आर० द्विवेदी** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 04.08.2006 को वह थानाध्यक्ष औराई के पद पर कार्यरत था। उस रोज माधव सिंह रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त अवनीश कुमार यादव पुत्र राजपति, सुनील यादव, दीपक यादव मय एक अदद बोलेरो जीप नम्बर UP64 F6695 व हीरोहोण्डा पैसन नम्बर UP53 AC8400 व 5 अदद कट्टा कारतूस गिरफ्तार व बरामद किया गया उक्त अभियुक्तगण का एक नाजायज गैंग है। इसका गैंग लीडर अवनीश यादव है। जो समय समय पर गैंग के सदस्यों को बदल–बदलकर अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित जघन्य अपराध कारित कर भय व आतंक का वातावरण उत्पन्न किये थे। पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर उसके द्वारा दिनांक 28.08.2006 को गैंगचार्ट तैयार कर भेजा गया था। जिस पर दिनांक 29.09.2006 को तत्कालीन डी०एम० भदोही का अनुमोदन प्राप्त किया। **गैंगचार्ट** उसके समक्ष है। उक्त गैंगचार्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। तत्पश्चात दिनांक 01.10.2006 को उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में एक तहरीर प्रधान लेखक औराई को सम्बोधित करते हुए दी थी। जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 637/2006 से 639/2006 धारा–3 (1) गैंगेस्टर एक्ट विरुद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत कराया गया था। उसके द्वारा दी गई **तहरीर** उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 1 आर०आर० द्विवेदी ने कथन किया है कि जो बुलेरो बरामद हुयी थी वह एफ.आई.आर. में अंकित है, उसका नंबर याद नहीं है। गिरफ्तारी का समय याद नहीं है। गिरफ्तारी 04.08.06 को हुयी थी। कट्टा भी बरामद

किया। गैंगेस्टर केस में जिन अभियुक्तों का नाम उसने गैंगचार्ट में किया है, उनमें किसी ने अभी तक बयान नहीं दिया है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि अवनीश का कोई पूर्व ऐतिहासिक इतिहास नहीं है और घर से पकड़कर जबरदस्ती नाजायज दबाव में नामजदगी कर दी गयी। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि अवनीश समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त नहीं था, न ही उसका कोई गैंग है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

09. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 गोविन्द सिंह** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 06.06.2007 को वह थानाध्यक्ष औराई के पद पर तैनात था। इस मुकदमे के विवेचक श्रीप्रकाश दुबे थानाध्यक्ष चौरी के स्थानान्तरण के बाद क्षेत्राधिकारी औराई के आदेशानुसार इस मुकदमे की विवेचना उसे मिली। उसने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये पर्चो को क्षेत्राधिकारी औराई के कार्यालय से प्राप्त कर दिनांक 06.06.2007 को ही विवेचना ग्रहण कर पर्चा नम्बर 25 में पूर्व किता पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 23.06.2007 को पर्चा नम्बर 26 में अभियुक्तगण का रिमांड का निवेदन किया। दिनांक 27.06.2007 पर्चा नम्बर 27 में गवाह श्री आनन्द व कां० मो० नन्दलाल द्विवेदी व एस०आई० शहवर अनवर खां का बयान दर्ज किया। दिनांक 12.07.2007 पर्चा नम्बर 28 में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना शेष अंकित किया गया। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया। आगे इसकी विवेचना एस०ओ० राकेश शुक्ला द्वारा की गई। उन्होंने पर्चा नम्बर 29, 30 व एस०सी०डी०–। किता किया है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उनको लिखते पढ़ते देखा है व उनके द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। **आरोप पत्र में मूल रूप से पत्रावली में कागज संख्या 3 क** है, जो राकेश शुक्ला के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

प्रति परीक्षण में उक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 गोविन्द सिंह द्वारा कथन किया गया है कि तीनों अभियुक्त प्रकाश में आये थे। वादी आनन्द स्वरूप ने अपने बयान में अभियुक्त अवनीश, सुनील, दीपक का नाम नहीं लिया। न ही गवाह शहरोज, नन्दलाल ने अपने बयान में अभियुक्त अवनीश, दीपक, सुनील का नाम लिया है। जिस समय वह

मामले की विवेचना कर रहा था वह थाना औराई पर नियुक्त था। अ०सं० 637, 638, 639 थाना औराई में कायम हुआ था। उसे याद नहीं है कि वह थाना औराई में कब से कब तक कार्यरत रहा। राकेश शुक्ला के साथ वह किसी विवेचना मे साथ नहीं गया था न ही उन्होने उसके सामने किसी का बयान ही लिया था। दौरान विवेचना उसने गैंगचार्ट देखा था। एक वादी का बयान उसने लिया था। जिसका नाम आनन्द सिंह है। उसने जो बयान अंकित किया है उसनें गाड़ी संख्या UP64F6694 का उल्लेख किया है। अप्रूवल प्रासिक्यूशन उसके सामने नहीं लिया गया था। अवनीश, सुनील व दीपक की चल अचल सम्पत्ति व आपराधिक चरित्र के बारे में कोई विवरण उसने अंकित नहीं किया था। उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणो के विरूद्ध किसी जनता के व्यक्ति ने किसी प्रकार की धमकी लूटमार या किसी अपराध केस के बारे में कोई बयान नही दिया था। जो विवेचना राकेश शुक्ला ने किया है उसके बारे में केवल वही बता सकते हैं। उसने केवल पहचान की है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि अभियुक्तगण अवनीश, सुनील, दीपक अपराधी नहीं है, न ही अपराध कृत्य मे सम्मिलित रहते हैं न हीं कोई आपराधिक गैंग है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि अभियुक्तगण के विरोधियों की साजिश में आकर झूठी गवाही दी, झूठी कार्यवाही की।

10. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 जगदीशचन्द्र शुक्ला** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 19.07.2006 को थाना गोपीगंज में कां०मो० के पद पर तैनात था। उस दिन 23.50 बजे वह कार्यालय कार्यलेख पर था। उस समय वादी छोटे लाल शुक्का द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर उसने थाना गोपीगंज पर **चिक संख्या 80/06 पर मुकदमा अपराध संख्या 35/06 धारा-403, 323 आई०पी०सी० बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया था। जो बाद में धारा-394, 411 आई०पी०सी० में कनवर्ट हुआ था। इस मुकदमे की मूल चिक एफ०आई०आर० उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में किया था। जिसकी प्रमाणित छायाप्रति इस पत्रावली पर उसके सामने है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क 4** डाला गया। साक्षी ने गैंगेस्टर के विवेचक द्वारा स्वयं का बयान लिया जाना कहा है

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 3 जगदीशचन्द्र शुक्ला ने कथन किया है कि गोपीगंज थाने पर वर्ष 2004-2006 तक तैनात था। दिनांक 19.07.2006 को थानाध्यक्ष गोपीगंज के पद पर कौन तैनात था इस समय याद नहीं है। तहरीर के आधार

पर मुकदमा कायम किया था। मूल तहरीर पत्रावली मे नहीं है। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया था। एस.ओ. या अन्य किसी ऊपर के अधिकारी के आवेदन के बगैर ही मुकदमा कायम किया था। बिना जाँच के तहरीर के आधार पर उसने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वादी अकेले आया था या किसी के साथ आया था। याद नहीं है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि नाजायज दबाव मे आकर वह झूठी घटना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

11. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 का० रमेश सिंह** अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि कां० मो० अवध बिहारी राय के साथ काम कर चुका है। उनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित है। पत्रावली में शामिल **चिक एफ०आई०आर० अपराध संख्या 637/06 धारा–3 (1) गैंगेस्टर एक्ट** सरकार बनाम अवनीश कुमार यादव एवं **चिक संख्या 70/06 सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या nil/06** सरकार बनाम सुनील कुमार, अवनीश कुमार, दीपक कुमार यादव, कां० मो० अवध बिहारी राय के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क 6** डाला गया।

प्रति परीक्षण मे साक्षी पी०डब्लू० 4 रमेश सिंह ने कथन किया है कि उसके सामने कोई बरामदगी और गिरफ्तारी नहीं हुयी थी। और न ही कोई रपट लिखी गयी थी। वह अवनीश कुमार यादव को नहीं जानता है। अवध बिहारी द्वारा उसके सामने कोई चिक किता नहीं किये। अवध बिहारी द्वारा लिखे गये लेख व हस्ताक्षर की केवल पुष्टि करता है। इसमे जो बाते लिखी गयी वह उसके सामने नहीं लिखी गयी। वह लिखी गयी बातों की सत्यता के बारे में कुछ नहीं जानता है। अवध बिहारी जीवित हैं या मर गये हैं, नहीं मालूम।

12. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 प्रकाश दूबे** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक–26.05.2007 को थानाध्यक्ष चौरी के पद पर नियुक्त हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या–637/2006, 638/2006, 639/2006 की विवेचना उसने ग्रहण किया। दिनांक 26.05.2007 को विवेचना ग्रहण कर पूर्व पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 31.05.2007 को पर्चा नम्बर 24 में अभियुक्तगणों का रिमांड प्राप्त कर अंकन किया तथा उसका स्थानान्तरण थाना सुरियावां हो गया। जब उसने विवेचना ग्रहण किया था तो प्रपत्रों व पत्रों के अवलोकन से अभियुक्त अवनीश कुमार यादव, सुनील कुमार यादव व दीपक यादव उर्फ बेलन, इनके विरुद्ध लूट, चोरी आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं और

आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इनके आपराधिक कृत्य से समाज में भय व आतंक व्याप्त है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 5 प्रकाश दूबे ने कथन किया है कि पर्चा नंबर 24 के अतिरिक्त और कोई भी पर्चा उसके द्वारा नहीं काटा गया है उसने विवेचना पूर्व विवेचक गिरी जी से प्राप्त किया था पर्चों के अवलोकन के अतिरिक्त कार्यालय में और कोई उसने अभियुक्त गण के विरुद्ध उक्त मुकदमे में कोई भी विवेचना नहीं किया है। उसे व्यक्तिगत रूप में अभियुक्तगण के बारे में व उनके अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया गया है कि उसने रंजिशन नाजायज दबाव में आकर रिमांड की कार्यवाही किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

13. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 जनार्दन गिरी** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.03.2007 को वह थाना चौरी पर थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या– 637/2006, 638/2006, 639/2006 धारा गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना ग्रहण विरुद्ध अभियुक्तगण अवनीश कुमार, सुनील कुमार, दीपक कुमार उर्फ बेलन यादव थाना औराई की विवेचना करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 10.03.2007 को उसके द्वारा पर्चा नम्बर 17 किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा दिये गये पर्चो का अवलोकन किया गया, साथ ही गैंगचार्ट व अन्य प्रपत्रों का भी अवलोकन किया गया। दिनांक 17.03.2007 को पर्चा नम्बर 18 व 18A किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण अवनीश कुमार, सुनील कुमार व दीपक यादव उर्फ बेलन का रिमांड न्यायालय से लिया या। दिनांक 11.04.2007 पर्चा नम्बर 19 में अपराध संख्या nil/06 धारा–41,411 आई०पी०सी० थाना औराई के एफ० आई० आर० लेखक कां० मुन्शी अवध बिहारी का बयान थाना औराई में जाकर लिया गया, जिसने बताया कि एस०टी०एफ० के उपनिरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के साथ एक किता तहरीर तथा उनके पास से बरामद बोलेरो गाड़ी, मोटर साइकिल व असलहें दाखिल किये गये, जिसके आधार पर उसने मुकदमा अपराध संख्या nil/06 धारा–41,411 आई०पी०सी० में पंजीकृत किया। एफ०आई०आर० उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। दिनांक 05.05.2007 को उसके द्वारा पर्चा नम्बर 20 व 20A किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण अवनीश कुमार, सुनील कुमार व दीपक उर्फ बेलन

यादव का न्यायालय से रिमाण्ड लिया गया है। दिनांक 07.05.2007 पर्चा नम्बर 21 में मुकदमा अपराध संख्या 340/06 धारा–392 आई०पी०सी० थाना गोपीगंज के वादी भोलानाथ पुत्र भगौती प्रसाद निवासी गणेशगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर जाकर घर पर उनका बयान अंकित किया गया, जिन्होंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तहरीर थाना गोपीगंज पर जाकर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही, जिसके अनुसार उनकी मोटर साइकिल UP63 81073 व उसमें रखा हुआ चांदी को लूटने की बात बताई गई। अभियुक्तगण का भय व आतंक क्षेत्र में होने की बात प्रकाश में आयी, जिनके भय से कोई सामान्य व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं है , ये अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के है, जिन्होंने विभिन्न थानास्थलों में अपराध कारित किये है, इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया। उसके बाद अन्य विवेचक द्वारा विवेचना की गई।

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 6 जनार्दन गिरी ने कथन किया है कि भदोही जनपद में वह थाना दुर्गागंज थाना चौरी थाना ऊंज पर नियुक्त था। पहले वह भदोही कप्तान साहब का पेशकार था। कितने दिनों तक पेशकार था याद नहीं है। पहले वह दुर्गागंज थाने पर एस.ओ. के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। किस तारीख को ग्रहण किया था याद नहीं है। किस तारीख को उसने चौरी थानाध्यक्ष के पद पर कार्य ग्रहण किया किस तारीख को चौरी में अपना पदभार छोड़ा यह भी याद नहीं है। भदोही जनपद में वह लगभग तीन साल तक नौकरी किया है। उसने 07.03.2007 को इस अभियोग की विवेचना ग्रहण किया था। सी.ओ. औराई के आदेश से उसने विवेचना ग्रहण किया था। सी.ओ. के आदेश की प्रति वह देखा नहीं है। उसने 21.05.2007 इस मुकदमे की विवेचना की थी। इस बीच वह मुल्जिम के घर नहीं गया था क्योंकि मुल्जिम जेल में था। उसने दौरान विवेचना कभी भी मुल्जिम के घर या उस क्षेत्र मे जाकर उसके चल व अचल सम्पत्ति को जानने का प्रयास नहीं किया। इस विवेचना के सम्बन्ध में थाना औराई मे 17.03.2007 को फिर कहे कि 11.04.2007 को गया था। समय ध्यान नहीं है कि कब कितने बजे गये थे। रवानगी जी.डी. में दर्ज किया गया था दोपहर में गया था उस दिन वह का०मो० भगौती का बयान लिया था। इसके अलावा उसने किसी और का बयान नहीं लिया था। दूसरा बयान उसने मु०अ०सं० 340/2006 के वादी का बयान लिया था उसका नाम याद नहीं है। इसकी उसे जानकारी नही है कि गैंगचार्ट के मुकदमे मे अभियुक्त

को दोषमुक्त किया गया है या नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है अथवा विचारण चल रहा है या नहीं इसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि केस डायरी उसने स्वयं न लिखा है और अपने मातहत से लिखवाया है। उसे यह जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट के अन्य अभियुक्त सुनील कुमार व दीपक कुमार यादव को गैंगेस्टर के मुकदमे मे बरी किया गया है या नहीं बरी किया गया है इसकी जानकारी उसे नही है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि उच्च अधिकारियों के दबाव में आकर उसने सारी कार्यवाही किया है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि अभियुक्त अवनीश निर्दोष है और कोई अपराध नहीं किया है और गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर उसके विरूद्ध गलत ढंग से गैंगेस्टर की कार्यवाही की गयी है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि वह झूठा बयान दे रहा है।

14. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 शहरोज अनवर खान** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 22.07.2006 को थाना पिपरी जिला सोनभद्र में थाना प्रभारी के पद पर तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या 351/06 धारा–379 आई०पी०सी० की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गई थी, जिसमें विवेचना के दौरान जुर्म धारा– 392, 411 आई०पी०सी० में तरमीम करके विवेचना में अवनीश कुमार यादव पुत्र राजपति यादव निवासी चन्द्रपुरा जगरनाथपुर थाना गोपीगंज, जिला भदोही, सुनील कुमार यादव पुत्र श्रीधर यादव निवासी तेवरधरईसा थाना चोलापुर जिला वाराणसी, दीपक उर्फ बेलन यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी तेवरधरईसा थाना चोलापुर जिला वाराणसी दौरान विवेचना से प्रकाश में आया था। जिनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल आरोप पत्र अपराध संख्या 351/06 धारा 392, 411 आई०पी०सी० का आरोप पत्र बाद विवेचना प्रेषित किया। **अपराध संख्या 609/2006 आरोप पत्र संख्या 76/06** की प्रमाणित छायाप्रति को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गयी, जिस पर **प्रदर्श क–7 (संशोधन आदेश दिनांकित 05.02.2026 के द्वारा प्रदर्श क–8 को प्रदर्श क–7 संशोधित किया गया।)** डाला गया। सम्बन्धित अपराध संख्या–351/06 धारा– 379 आई०पी०सी० थाना पिपरी सोनभद्र का चिक एफ०आई०आर० दिनांक 22.07.2006 की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में

संलग्न है, जिसे चिक लेखक नन्दलाल द्विवेदी द्वारा किता किया गया है। साक्षी ने गैंगेस्टर के विवेचक द्वारा स्वयं का बयान लिया जाना कहा है।

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 7 शहरोज अनवर खान ने कथन किया है कि उसने थाना पिपरी के पद पर किस तारीख को ज्वाइन किया, तारीख याद नहीं है। वह किस तारीख तक उक्त थाने पर तैनात रहा, तारीख याद नहीं रहा। उसने अपराध संख्या 351/06 में वादी का बयान लिया था और गवाहान का बयान लिया था नाम याद नहीं है। उसने वादी वादी का बयान किस तारीख को व किस स्थान पर लिया था याद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध संख्या 351/06 में अभियुक्त अवनीश यादव नामजद अभियुक्त नहीं था बल्कि विवेचना में प्रकाश में आया था। आरोप पत्र संख्या 76/06 प्रदर्श क 8 की प्रमाणित प्रति पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी जिस पर न्यायालय द्वारा अवलोकन करने पर दर्शित है कि दिनांक आरोप पत्र संख्या, प्रथम सूचना संख्या, अपराध संख्या, धारा पठनीय है। A से A, B से B व C से C अपठनीय है। गैंगेस्टर के विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था तारीख व स्थान याद नहीं है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार कियाग या है कि पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के नाजायज दबाव में आकर उसने थाने पर बैठकर ही गलत ढंग से उक्त अपराध संख्या में आरोपपत्र प्रेषित किया है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि वह झूठी गवाही दे रहा है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि अभियुक्त अवनीश ने कोई अपराध नहीं किया था और उसके द्वारा गलत ढंग से आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

15. **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 सेवानिवृत्त कांस्टेबल मोहर्रिर नन्दलाल द्विवेदी** ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 22.07.2006 को पुलिस चौकी रेनुकोट थाना पिपरी सोनभद्र में बतौर कांस्टेबल मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा संख्या 351/2006, अपराध संख्या 609/06 धारा–379 आई०पी०सी० को थाना पिपरी जनपद सोनभद्र बनाम अज्ञात दर्ज हुआ। बाद में प्रकाश में अभियुक्त अवनीश कुमार यादव व सुनील कुमार का नाम है, जिसके वादी मुकदमा आनन्द स्वरूप पुत्र मदनमोहन शर्मा द्वारा लिखित तहरीर देकर घटना दिनांक 21.07.2006 को समय 11 बजे रात्रि के आधार पर उसने उक्त चिक किता किया है, जो चोरी के सम्बन्ध में था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल चिक एफ०आई०आर० की प्रमाणित प्रति को देखकर उसे अपने

लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–8 (संशोधन आदेश दिनांकित 05.02.2026 के द्वारा प्रदर्श क–9 को प्रदर्श क–8 संशोधित किया गया।**) डाला गया। साक्षी ने विवेचक द्वारा स्वयं का बयान लिया जाना कहा है।

प्रति परीक्षण में साक्षी पी०डब्लू० 8 सेवानिवृत्त कांस्टेबल मोहर्रिर नन्दलाल द्विवेदी ने कथन किया है कि रेनूकोट पुलिस चौकी को वह सन 2006 में ज्वाईन किये थे, दिनांक याद नहीं है। वह बतौर कांस्टेबल मुहर्रिर किस तारीख से किस तारीख तक रहा याद नही है। वादी अकेले आया था या किसी के साथ आया था वह नहीं जानता लेकिन वादी आकर के मुकदमा लिखवाया था। उसने मुकदमा वादी के कहने पर मुकदमा लिखा था। उसे पुलिस के किसी अधिकारी का आदेश निर्देश नहीं था। उसे घटना की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। उसने कोई जांच नहीं की थी बिना किसी जांच पड़ताल के मुकदमा लिख लिया था। प्रदर्श क 9 की छाया प्रति को थानाध्यक्ष ने प्रमाणित किया है। थानाध्यक्ष उस समय कौन थे उसे याद नही है। पेज एक पर वादी के कालम में वादी का नाम व पता स्पष्ट नहीं है। प्रदर्श क 9 उसके सामने है उसी को देख कर वह उत्तर दे रहा है। मोहर पर थाना पिपरी जनपद जनपद लिखा है इसी आधार पर उसने कहा कि थानाध्यक्ष ने प्रमाणित किया है। गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि किसी तरह की कोई घटना न घटी हो और वह वादी के प्रभाव में आकर एफ.आई.आर. दर्ज कर ली हो। प्रदर्श क 9 उसके सामने प्रमाणित नहीं किया गया था कब किया गया था वह नहीं बता सकता। वह अपना लेख पहचान सकता है, दूसरे का नही क्योकि उसके पास डिग्री नहीं है और न ही कोई दक्षता प्राप्त है। गवाह द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया गया है कि वह न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दे रहा है। पत्रावली में वादी द्वारा दी गयी कोई तहरीर नहीं है।

16. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त अवनीश कुमार यादव का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गलत आरोप लगाकर झूठा फंसाया जाना कहा है। साक्षीगण द्वारा झूठा बयान देते गलत प्रपत्र तैयार कर साबित किया जाना कहा है। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसकी न तो कोई गैंग है, न ही वह किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। गैंगचार्ट में जितने मुकदमे दर्शित है, उन सभी मुकदमों में वह बरी हो चुका है।

1 7. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) के द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में कुल तीन मामले अपराध सँख्या Nil/2006 धारा– 41/411 भा०दं०वि० एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना औराई जनपद भदोही, मुकदमा अपराध संख्या 35/06 धारा– 394 भारतीय दंड संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम और मुकदमा अपराध संख्या 340/06 धारा– 392, 411 भा०दं०वि० थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के आधार पर कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण की लूट की और चोरी की गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अवनीश यादव है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने मामले की कार्यवाही को साबित किया है। इस मामले में गैंगेस्टर के वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 आर०आर० द्विवेदी ने अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट को तैयार किये जाने एवं उसके अनुमोदन होने के उपरांत गैंगेस्टर का मामला दर्ज किये जाने की पुष्टि की है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आधारभूत मुकदमों में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई है। इस मामले में अभियुक्तगण का भय और आतंक था, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाता था। अभियुक्तगण का नाम विवेचना के अनुक्रम में प्रकाश में आया था। जिसमें अभियुक्त अवनीश यादव और अन्य अभियुक्तगण की भूमिका गैंग के रूप में दर्शित होती है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है।

18. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो आधारभूत मुकदमे दर्शाये गये हैं, उन आधारभूत मुकदमों में अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था। किसी भी मुकदमे में नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अभियुक्तगण का नाम किस आधार पर प्रकाश में आया, यह अभियोजन की ओर से दर्शाया नहीं गया है। आधारभूत मुकदमे के किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस मामले में क्या आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित किया था, इस सम्बन्ध में कोई विवेचना वादी मुकदमा या अन्य विवेचक के द्वारा नहीं की गई है। अभियुक्तगण के कृत्य से कौन भयभीत हुआ था, इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध किया जाना दर्शाया गया है किन्तु क्या आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित किया गया, यह साक्ष्य के द्वारा दर्शित नहीं किया गया।

19. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त के माध्यम से मुकदमा नम्बर 108 सन् 2021 सरकार बनाम सुनील कुमार यादव धारा– 3(1)उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट निर्णय दिनांक 28.11.2016 की प्रति, आपराधिक वाद संख्या 2758/2006 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अवनीश कुमार आदि धारा – 379, 411 भा०दं०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही निर्णय दिनांक 18.08.2008 की प्रति, मुकदमा नम्बर 5574/2006 राज्य बनाम अवनीश कुमार व अन्य धारा– 392, 411 आई०पी०सी० थाना पिपरी जनपद सोनभद्र निर्णय दिनांक 06.02.2025, नं०मु० 2386/2006 सरकार बनाम अवनीश कुमार यादव धारा–25/27 आर्म्स एक्ट निर्णय दिनांक 28.03.2023 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

20. उभय पक्षों के तर्क को सुना गया तथा पत्रावली का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया।

21. इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है कि गैंगेस्टर अधिनियम 1986 विशेष अधिनियम है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य AIR 1987 इलाहाबाद 265** के मामले में गैंगेस्टर अधिनियम का उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि उत्तर विधानमण्डल के द्वारा संगठित अपराधों को रोकने के लिए समाज को असमाजिक तत्वों से बचाने के लिए एवं गिरोहों का सामना करने हेतु अधिनियम संख्या 7 को वर्ष 1986 को अधिनियमित किया गया।

22. माननीय न्यायालय द्वारा गिरोह शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया कि गिरोह वादिता हत्या कारित करने, हिंसा का प्रयोग करने, फिरौती और अन्य मांगो के लिए लोगों को उठा ले जाना, अधिकांशतः यातना ,काला बाजारी आदि में शामिल होते हुए बल पूर्वक स्वतंत्रता से वंचित करना जो कि विशेष समूह और संगठनों के माध्यम से एक लक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। न्यायालय राज्य में विद्यमान स्थिति की न्यायिक अवेक्षा करती है। जिससे नागरिकों को जीवन की यदि वास्तविक नर्क नहीं हो तो कठिन बना दिया गया हो। राज्य में भय व भयादोहन का वातावरण व्याप्त हो जाता है। दादागिरी जो उपरोक्त क्रिया कलापों के लिए प्रदान किया गया एक शब्द है, उसने एक निश्चित अर्थ को ग्रहण कर लिया है, जो इस अधिनियम के माध्यम से गिरोह के रूप में प्रयोग किया जाता है।

23. यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण के कृत्यों को निर्धारित करने हेतु अधिनियम में परिभाषित शब्दावली **गिरोहबंद** एवं **गिरोह** पर

विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधिनियम की धारा–2(ग)में गिरोहबंद को निम्न रूप में परिभाषित किया गया हैः–

गिरोहबंद का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से हैं और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड ख में प्रगणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिए चाहे ऐसा क्रिया कलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हों, संश्रय देता है।

इस प्रकार गिरोहबंद ऐसा व्यक्ति है जो गिरोह का सदस्य, सरगना या संगठककर्ता हो और गिरोह को अधिनियम की धारा–2 ख में परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार है–

गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी आर्थिक ,भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या परिपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं–

अधिनियम में इस सम्बन्ध में धारा–2(ख) i से (xv) में विशिष्ट अपराध वर्णित किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में अभियुक्त यदि गिरोह का सदस्य है तब वह उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के आलोक में दण्ड का पात्र होगा।

24. अतः गिरोह की जो परिभाषा धारा–2(ख) के अधीन दी गई है वह पर्याप्त रुप से स्पष्ट करती है कि गिरोह के रूप में व्यक्तियों का समूह कहने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं–

(I)– व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए।

(II)–व्यक्तियों के समूह को हिंसा अथवा धमकी, हिंसा के प्रदर्शन या अभित्रास या परिपीड़न के द्वारा या तो एकल रूप में या सामूहिक रूप में कार्य करना चाहिए अथवा अन्यथा

(III)– ऊपर (II) व्यक्तियों का समूह का कृत्य लोक व्यवस्था को विक्षुप्त करने या किसी असम्यक दुनियाबी आर्थिक अथवा भौतिक लाभ या अन्यथा के द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए।

(IV)ऊपर व्यक्तियों के समूह को अधिनियम की धारा–2 ख (i) से (xv) के अधीन यथा परिभाषित असमाजिक क्रिया कलापों में लिप्त होना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त शर्तों का पालन किसी व्यक्ति के समूह को गिरोह बनाता है।

25. इस मामले में पत्रावली में संलग्न गैंगचार्ट प्रदर्श क –1 का अवलोकन करने पर दर्शित है कि गैंगचार्ट दिनांक 28.08.2006 को तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी के द्वारा दिनांक 29.09.2006 को किया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि गैंगचार्ट का अवलोकन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध कुल चार मुकदमे दर्शाये गये हैं – अपराध संख्या Nil/2006 धारा– 41/411 भा०दं०वि० एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना औराई जनपद भदोही, मुकदमा अपराध संख्या 351/06 धारा– 394, 411 भारतीय दंड संहिता थाना गोपीगंज, जनपद भदोही और मुकदमा अपराध संख्या 340/06 धारा– 392, 411 भा०दं०वि० थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर, मुकदमा अपराध संख्या 351/06 धारा–3/25 तरमीमी धारा–392, 411 भा०दं०वि० थाना पिपरी जनपद सोनभद्र का उल्लेख किया गया है। गैंगचार्ट का अवलोकन करने पर यह दर्शित नहीं है, उक्त मुकदमों में आरोप पत्र कब प्रस्तुत किया गया है जबकि गैंगचार्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए कि आधारभूत मुकदमे में आरोप पत्र प्रस्तुतिकरण के पश्चात गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। इस मामले में पत्रावली का अवलोकन करने पर आधारभूत मुकदमे में आरोप पत्र कब प्रस्तुत किया गया, इसके सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर दर्शित है कि अभियोजन के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 609/2006 धारा– 392, 411 भा०दं०वि० जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित आरोप पत्र प्रदर्श क – 8 जो प्रमाणित छायाप्रति को प्रदर्शित कराया गया है, जिसका उल्लेख गैगचार्ट में नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियोजन प्रपत्र का अवलोकन करने पर मुकदमा अपराध संख्या Nil/06 धारा–41/411/414 थाना औराई में आरोप पत्र दिनांक 12.10.2006 को प्रस्तुत किया गया जो कि गैंगचार्ट अनुमोदन के लिए भेजे जाने के दिनांक 28.08.2006 के पश्चात आधारभूत मुकदमे में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। इसी प्रकार मुकदमा अपराध संख्या 351/06 धारा–394, 411 भा०दं०वि० थाना गोपीगंज जनपद भदोही में आरोप पत्र प्रस्तुतिकरण दिनांक 19.08.2010 दर्शित है। उक्त दोनों आधारभूत मुकदमे के आरोप पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही उसे प्रदर्शित कराया गया है। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 351/06 धारा–

3/25 आयुध अधिनियम, तरमीम धारा– 392, 411 भा०दं०वि० थाना पिपरी जनपद सोनभद्र का कोई आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे यह तथ्य कि सभी आधारभूत मुकदमे में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात एवं अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के सन्तुष्टि के लिए समस्त प्रपत्र भेजे गये थे, इस पर सन्देह उत्पन्न होता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि गैंगचार्ट अनुमोदन किये जाने के पूर्व सभी आवश्यक कार्यवाही जो गैंगेस्टर के प्रावधान के लिए जरूरी है, वह गैंगचार्ट को तैयार किये जाते समय भेजी जानी चाहिए थी। आधारभूत मुकदमों में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात ही गैंगेस्टर की कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से उचित प्रक्रिया है। जो कि इस मामले में दर्शित नहीं होती है। आधारभूत मुकदमे लूट और चोरी से सम्बन्धित है, जिनसे सम्बन्धित फर्द बरामदगी की प्रति भी संलग्न किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस मामले में तहरीर प्रदर्श क–6 के पृष्ठ भाग का अवलोकन करने पर नकल फर्द बरामदगी करते हुए दर्शाया गया है कि अभियुक्त के पास एवं अन्य सहअभियुक्त के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, बोलेरो जीप की बरामदगी होना बताया गया है, जो अभियुक्तगण की पूछताछ के आधार पर चोरी की होना व लूट की होना पुलिस की ओर से बताया गया है। इस मामले में फर्द बरामदगी दिनांक 04.08.2006 को लिखी गयी है,जिसके अवलोकन से दर्शित है कि उक्त फर्द बरामदगी में दर्शायी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि अलग–अलग थानों में दर्ज था। जिसमें कि अभियुक्त की भूमिका बतायी गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित मामला गैंगेस्टर अधिनियम की धारा–2(ख) की परिधि में नहीं आता है। चूंकि वर्ष 2012 में अपराध की XV श्रेणी दी गई थी, उसमें गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित मामले सम्मिलित नहीं किये गये थे। अतः गैंगचार्ट तैयार किये जाते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है।

26. इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 आर०आर० द्विवेदी के द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण की एक गैंग है, जिसका गैंगलीडर अवनीश यादव है। जो अपने सदस्यों को बदल–बदलकर आर्थिक, भौतिक या अन्य दुनियाबी लाभ हेतु अध्याय 16, 17, 22 में वर्णित जघन्य अपराध कारित करता है। जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गैंगचार्ट दिनांक 28.07.2006 को तैयार किया गया। जिस पर 29.09.2006 को डी०एम० भदोही का अनुमोदन प्राप्त हुआ। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण

आर्थिक, भौतिक अभिलाभ के लिए कार्य करते थे। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा ने क्या साक्ष्य एकत्रित किया है, अपने न्यायालीन कथन में नहीं बताया है, न ही पी०डब्लू० 5 शिवप्रकाश दुबे, जो कि इस मामले के विवेचक रहे हैं, आर्थिक, भौतिक दुनियाबी लाभ के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य एकत्रित किया है। जिरह में यह साक्षी पी०डब्लू० 5 कथन करता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके अपराध के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, उसने पूर्व विवेचक के पर्चों का अवलोकन किया था। अन्य कोई विवेचना नहीं की थी। इस मामले में पी०डब्लू० 6 जनार्दन गिरी, जो गैंगेस्टर के मामले के विवेचक रहे हैं, उनके द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि इस मुकदमे की विवेचना के दौरान मुल्जिम के घर कभी नहीं गया, क्योंकि मुल्जिम जेल में थे। विवेचना के दौरान मुल्जिम के घर या क्षेत्र में जाकर चल अचल सम्पत्ति का पता लगाने का कोई प्रयास उसके द्वारा नहीं किया गया। पी०डब्लू० 7 सहरोज अनवर, जो कि आधारभूत मुकदमे के विवेचक रहे हैं, उनके बयान से भी दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने अपराध से क्या सम्पत्ति अर्जित की थी। गैंगेस्टर अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों को साबित किया जाना गैंगेस्टर के प्रावधान में एक आवश्यक तत्व है।

27. यह महत्वपूर्ण है कि गैंगेस्टर अधिनियम के प्रावधान में किसी गैंग का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, उद्देश्य का परिमाण महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत गैंग निम्न दो उद्देश्यों में से किसी एक भी उद्देश्य के लिए कार्य कर रही थी तो गैंगेस्टर की कार्यवाही की जा सकती है। यह उद्देश्य निम्न हैं–

(I) लोकव्यवस्था को अशांत करने हेतु किया जाए। या,

(II)स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लौकिक, आर्थिक,भौतिक या धन सम्बन्धी या अन्य लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से या तो एकल रूप से या सामूहिक रूप से हिंसा करके या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या परिपीड़न द्वारा अन्य प्रकार से किया जाए।

इस मामले में माननीय न्यायालय का न्यायदृष्टांत **Narender Vs. State of Uttarakhand 2021(116)ACC 102 UTT** का निर्णय अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि जबतक किसी प्रकरण में गैंगेस्टर अधि० के दोनों में से कोई भी एक उद्देश्य नहीं है, तब तक मात्र एक या दो केस पर गैंगेस्टर की कार्यवाही नहीं

की जा सकती। यदि उक्त दोनों में से कोई उद्देश्य पूर्ण होता है तभी धारा –2 ख में वर्णित खण्ड (1)से (15) के अपराधों को देखा जाना उचित होगा। इस मामले में गैंगेस्टर अधिनियम में दो उद्देश्य होते हैं, (i)व्यक्तियों का समूह का कृत्य लोक व्यवस्था को विक्षुप्त करने या(ii) किसी असम्यक दुनियाबी आर्थिक अथवा भौतिक लाभ या अन्यथा के द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए।इस सम्बन्ध में यद्यपि यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक , भौतिक अभिलाभ अर्जन करने का परिमाण महत्वपूर्ण नहीं है , किन्तु इस सम्बन्ध में गैंगेस्टर अधिनियम में वर्णित उद्देश्य होना जरूरी होता है। इस मामले में चूंकि इस मामले में गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जिन आधारभूत मुकदमों का अभियोग अभियुक्त के ऊपर है, वह अपराध सम्पत्ति सम्बन्धी हैं, जिसमें चोरी करने का अभियोग है, जिससे यह तथ्य दर्शित होता है कि आर्थिक, भौतिक या दुनियाबी लाभ के लिए अभियुक्तगण द्वारा अपराध किया जा रहा था।किन्तु वादी मुकदमा और विवेचक एवं अन्य आधारभूत मुकदमों के विवेचक के कथन से यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त ने क्या आर्थिक भौतिक या दुनियाबी अभिलाभ अर्जित किया है या कौन सी सम्पत्ति बनायी है। अभियुक्त के द्वारा चोरी से अर्जित धन से कौन सी सम्पत्ति बनायी गयी या आर्थिक भौतिक अभिलाभ अर्जित किये गये, इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है, न ही अभियोजन की ओर से कोई प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे यह तथ्य दर्शित हो कि अभियुक्त द्वारा गैंगलीडर के रूप में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक दुनियाबी लाभ के लिए कार्य किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का न्यायदृष्टांत **Sanni Mishra @ Sanjayan Kumar Mishra Vs. State of U.P. And 2 others Cri. Misc.Writ Petition no. 16258/2023, व Rajeev Agarwal Vs. State of U.P. And Anr. App. No. 38502 of 2018 अवलोकनीय है जिसमें** माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गैंगेस्टर अधिनियम के आधारभूत तत्वों के सम्बन्ध में समुचित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात गैंगचार्ट को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1987(34) में गैंगेस्टर अधिनियम के प्रावधान के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप गैंगचार्ट तैयार किये जाने और गैंगेस्टर की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Vinod Bihari lal Vs. State of Uttar Pradesh Cri. Appeal No. 777 –778 of 2025** में भी गैंगेस्टर अधिनियम के आधारभूत तत्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में गैंगचार्ट को तैयार करने और गैंगेस्टर की कार्यवाही किये जाने हेतु गैंगेस्टर अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु विधि व्यवस्था दी गई है।

28. अभियोजन साक्षीगण के कथन से यह तथ्य दर्शित नहीं है कि अभियुक्त के कृत्य से किस प्रकार समाज में भय और आतंक था। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी आर०आर० द्विवेदी ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि गैंग लीडर अवनीश यादव ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक अभिलाभ के लिए भा०दं०वि० के अध्याय 16 ,17, 22 में वर्णित जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न किया है। किन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से मौखिक कथन के अतिरिक्त यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा किस प्रकार समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 2 गोविन्द सिंह ने जिरह में यह कथन किया है कि तीनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध जनता के किसी व्यक्ति ने धमकी, लूट पाट या अपराध करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। इस मामले में विवेचना राकेश शुक्ला ने की है, अतः इस सम्बन्ध में वही बता सकते हैं। अभियोजन की परीक्षित साक्षी शिवप्रकाश दुबे ने कथन किया है कि अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्य से समाज में भय और आतंक व्याप्त था। किन्तु जिरह में यह साक्षी कथन करता है कि उसे अभियुक्तगण के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, न ही इनके अपराध में कोई जानकारी है। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 6 जनार्दन गिरी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण के भय और आतंक क्षेत्र में होने की बात प्रकाश आयी है, जिससे सामान्य व्यक्ति उसके विरुद्ध गवाही नहीं देना चाहता था। अभियुक्तगण ने विभिन्न थानास्थलों पर अपराध कारित किये हैं। किन्तु जिरह में यह साक्षी ऐसा कोई कथन नहीं करता है, जिससे दर्शित हो कि अभियुक्तगण के भय और आतंक की बात उसे किस प्रकार पता लगी, क्योंकि इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण जेल में थे और विवेचना के दौरान वह उसके घर या क्षेत्र में कभी नहीं गये। इसी प्रकार परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 7 शहरोज अनवर खान के न्यायालीन कथन में भी यह तथ्य दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण का समाज में भय और आतंक था। गैंगेस्टर के आधारभूत तत्व

अभियोजन की ओर से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। चूंकि यह मामला लूट और चोरी की गैंग होना बताया गया है। अतः अभियुक्तगण के कृत्य से किस प्रकार भय और आतंक कारित हुआ था, यह मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से दर्शाया जाना चाहिए था।

29. अभियुक्त अवनीश यादव के द्वारा अपने धारा–313 दं०प्र०सं० के अभिवाक् में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसकी कोई गैंग नहीं है, न ही वह किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। गैंगचार्ट में जो मुकदमे दर्शाये गये हैं, उसमें वह बरी हो गया है। बचाव पक्ष की ओर से फेहरिस्त के अनुसार मुकदमा नम्बर 108 सन् 2021 सरकार बनाम सुनील कुमार यादव धारा–3(1)गैगेस्टर अधिनियम निर्णय दिनांक 28.11.2016 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त सुनील कुमार यादव जिसे गैंग का सदस्य बताया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में सरकार बनाम अवनीश यादव आपराधिक वाद संख्या 2758 सन् 2006 धारा–394, 411 भा०दं०वि० थाना गोपीगंज निर्णय दिनांक 18.08.2008 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अवनीश यादव को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अपराध संख्या 351/2006 गैंगचार्ट में वर्णित मुकदमे में दोषमुक्त किया गया है। मुकदमा संख्या 5574/2006 अपराध संख्या 35/2006 निर्णय दिनांक 06.02.2025 की सत्यापित प्रतिलिपि, जो गैंगचार्ट में आधारभूत मुकदमा है, उसमें अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय द्वारा भूमिका न पाते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। मुकदमा संख्या 2386/2006 निर्णय दिनांक 28.03.2023 अपराध संख्या 439/2006 थाना औराई सरकार बनाम अवनीश यादव में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गैंगचार्ट में अभियुक्त के विरुद्ध कुल चार मामले दर्शाये गये हैं। जिसमें आधारभूत मुकदमे में विवेचना उपरांत न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। जिससे यह तथ्य दर्शित होता है कि आधारभूत मुकदमे में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं पायी गयी थी। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि गैंगेस्टर अधिनियम में आधारभूत मुकदमों में दोषमुक्त हो जाने पर ही गैंगेस्टर की कार्यवाही पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। चूंकि विचारण के दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे गैंगेस्टर के आधारभूत तत्व को सिद्ध करने के लिए आबद्ध है जो कि इस मामले में अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। गैंगचार्ट को

तैयार किये जाने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। इस मामले में सभी आधारभूत मुकदमे के आरोप पत्र की प्रति नहीं प्रस्तुत की गई है एवं यह तथ्य दर्शित होता है कि आधारभूत मुकदमे की विवेचना पूर्ण होने के पहले ही गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। आधारभूत मुकदमों के आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। फर्द बरामदगी की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। गैंगचार्ट में इस तथ्य को नहीं दर्शाया गया है कि अभियुक्तगण की किस प्रकार से एक गिरोहबंदी थी। इस सम्बन्ध में **02.01.2004 उत्तर प्रदेश शासन का नोटिफिकेशन नं० –12/6–पु०–11–2004–58(Writ)/ 2003** महत्वपूर्ण है जिसमें **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 6249/2003 अमरनाथ दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों के परिपालन में उक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिनका उल्लंघन इस मामले में किया गया है। जो गैंगचार्ट तैयार किया गया है, वह इस मामले में त्रुटिपूर्ण दर्शित होता है।

30. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सामाग्री तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सामाग्री एवं इस प्रकरण में आये तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अवनीश कुमार यादव द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा–3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः अभियुक्त को धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

31. अभियुक्त अवनीश कुमार यादव को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–179 सन् 2012 मुकदमा अपराध संख्या–637 सन 2006, अन्तर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

32. अभियुक्त अवनीश कुमार यादव जमानत पर है। उनके जमानतनामें तथा व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

33. अभियुक्त अवनीश कुमार यादव के द्वारा धारा–437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू दाखिल किये गये हैं। ये व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू छः माह के लिए प्रभावी रहेंगे तथा छः माह की अवधि बीत जाने के बाद स्वतः निरस्त समझे जाएंगे।

34. इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट भदोही को जरिए विशेष लोक अभियोजक नियमानुसार प्रेषित की जाय।

दिनांक– 20.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम
/गैंगेस्टर अधिनियम, ज्ञानपुर–भदोही
J.O. Code– UP03839

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक– 20.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम
/गैंगेस्टर अधिनियम, ज्ञानपुर–भदोही
J.O. Code– UP03839

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 10:00:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court